निजता का अधिकार
[Right to Privacy]
लेखक:
इंजी. विनोद एम. नागवंशी

# निजता का अधिकार

**स**र्वोच्च न्यायालय ने २४ अगस्त 2017 को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि **"निजता का अधिकार मौलिक अधिकार"** है और यह जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश **न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर** की अध्यक्षता वाली **नौ सदस्यीय पीठ** ने एक मत से यह फैसला दिया. शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर आधार योजना को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। **"निजता का अधिकार"** भारतीय संविधान में उल्लिखित **अनुच्छेद 21** के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है।

---

### क्या हैं मौलिक अधिकार?

**भा**रतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। इन मौलिक अधिकार को व्यक्ति के विकास के लिए अहम माना जाता है।

**नागरिक को मौलिक अधिकार विभिन है-**

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के खिलाफ अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- सांस्कृति और शिक्षा का अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार
- **निजता का अधिकार**

---

## क्या हैं निजता का अधिकार?

**भारतीय संविधान** के **भाग-3** में **अनुच्छेद 12 से लेकर 35** तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ये हर एक नागरिक को दिए गए बुनियादी अधिकार हैं। इन अधिकारो में **राइट टू प्राइवेसी** यानी कि **"निजता का अधिकार"** लिखित तौर पर शामिल नहीं है। यह अधिकार **अनुच्छेद -21** के अंदर आने वाले अधिकार का हिस्सा माना जाता है।

## आर्टिकल-21 क्या है?

किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। **अनुच्छेद 21(क)** के अनुसार **86वें संविधान संशोधन अधिनियम- 2002** के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह संशोधन देश में 'सर्वशिक्षा' के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। दरअसल, **आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी** से जुड़ा है। इसके ये मायने हैं कि संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रखा जा सकता।

# निजता के अधिकार से जुड़ा इतिहास-

## साल 1895 का विधेयक-

**"Right to Privacy"** का मामला सबसे पहले 1895 में उठा था। इसी साल भारतीय संविधान बिल में भी **"Right to Privacy"** की मजबूती से वकालत की गई थी। 1895 में लाए गए विधेयक में कहा गया था कि कि हर शख्स का घर उसका बसेरा होता है और सरकार बिना किसी ठोस कारण और कानूनी अनुमति के वहां जा नहीं सकती।

## तब महात्म गांधी थे समिति के सदस्य-

साल 1925 में एक समिति ने **"Commonwealth of India bill"** **{'कामनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल'}** को बनाने के दौरान **"Right to Privacy"** का जिक्र किया था।

- इस समिति में राष्ट्रपिता **महात्मा गांधी** भी सदस्य थे।

## बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने कहा था- है निजता का अधिकार

**साल 1947** के मार्च में **भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर** ने **"Right to Privacy"** का जिक्र करते हुए कहा था कि लोगों को उनकी निजता का अधिकार है।

---

## इन जजों ने सुनाया फैसला

**२४ अगस्त 2017** को सुप्रीम कोर्ट में "**निजता के अधिकार**" को लेकर **9 जजों** की संविधान ने फैसला सुनाया कि ये अधिकार बुनियादी हक है। यह फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता **मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर** कर रहे थे।

**इन नौ जजों की बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार माना-**

- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर
- जस्टिस चमलेश्वर
- जस्टिस आरके अग्रवाल
- जस्टिस एस,ए बोबड़े
- जस्टिस एएम सापरे
- जस्टिस आरएफ नरिमन
- जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़
- जस्टिस संजय किशन कौल
- जस्टिस एस एब्दुल नजीर

---

## निजता के अधिकार का मुद्दा आखिर क्यों

निजता के अधिकार का मुद्दा उस वक्त उठा जब "**Social Welfare Scheme**" का फायदा उठाने के लिए **आधार** को **केंद्र सरकार** ने अनिवार्य कर दिया था, लोगो ने इसका विरोध किया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। इस याचिका में आधार योजना की **कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी** को यह कहकर चैलेंज किया गया कि ये निजता के बुनियादी हक के खिलाफ है।

इस याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि **निजता का अधिकार** सबसे महत्वपूर्ण **मौलिक अधिकार** जीने की स्वतंत्रता में आता है। इसके साथ ही याचिका कर्ता ने कहा कि सरकार किसी भी योजना के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी **Biometric** जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

==================================================================

## निजता के जोन

सुनवाई के दौरान **जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़** ने कहा था कि निजता के तीन जोन हैं-

- **आंतरिक जोन-** जैसे शादी, बच्चे पैदा करना आदि।
- **प्राइवेट जोन-** जहां हम अपनी निजता को किसी और से शेयर नहीं करना चाहते।
- **पब्लिक जोन।**

---

## जानिए सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंची इस ऐतिहासिक फैसले

2014 में आई NDA की सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाकर हर सरकारी योजनाओं से जोड़ना शुरू किया था। जिसका लोगों ने विरोध भी किया।

**आधार** की वजह से शुरू हुई **निजता के अधिकार** की बहस । सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां **सन् 2015** में मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का निर्देश दिया गया.

---

## ये रही सुनवाई की टाइमलाइन

- **जुलाई 21, 2015 -** जस्टिस जे चेलामेश्वर, एस. ए. बोबडे और सी नगप्पन की बेंच ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड के अधिकारियों द्वारा की गई मांग सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर, 2013 के अंतरिम आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि आधार स्वैच्छिक है.
- **जुलाई 22, 2015**: केंद्र ने इसका जवाब दिया कि संविधान निर्माताओं ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया है. निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है. इसलिए ये याचिका रद की जानी चाहिए. निजता का अधिकार पर सार्वजनिक हित में कुछ प्रतिबंध जरूरी हैं.
- **अगस्त 6, 2015**: तीन जजों की बेंच ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इन याचिकाओं ने आधार कार्ड प्रोजेक्ट को बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन और बेसिक और अहम सब्सिडी योजनाओं के साथ जोड़े जाने को निजता के अधिकार का उल्लंघन बनाया था. केंद्र ने बड़े बेंच

की मांग की ताकि इससे जुड़े कानूनों और निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं पर जवाब दिया जा सके.

- ❖ **11 अगस्त, 2015**: बेंच का मानना था कि अगर आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया और न ही सरकारी लाभों तक पहुंचने के लिए कोई शर्त बनाई गई तो 'बैलेंस ऑफ इंट्रस्ट' बेहतर तरीके से काम करेगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यही अंतरिम आदेश ही चलता रहेगा, जब तक 5 जजों की बेंच ये निर्धारित नहीं कर लेती कि आधार योजना और बायोमैट्रिक रजिस्टेशन नागरिकों के निजता का हनन करते हैं या नहीं.
- ❖ **7 अक्टूबर, 2015**: सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को कि किसी सरकारी लाभ को लेने के लिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना निजता का अधिकार छोड़ दे तो इसके लिए क्या फैसला होगा, एक संविधान खंडपीठ को दे दिया.
- ❖ **8 अक्टूबर, 2015**: सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने दूसरी इस मुद्दे पर फिर से बहस करने के लिए दूसरी संविधान बेंच बनाई.
- ❖ **15 अक्टूबर, 2015**: सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को मनरेगा, पेंशन स्कीमों, ईपीएफ, प्रधानमंत्री जनधन योजना तक बढ़ा दिया.
- ❖ **25 अप्रैल, 2016**: सांसद जयराम रमेश ने आधार को मनी बिल के रुप में पेश करने पर इसे बेशर्मी और बुरा बताया, जिसके बाद ये फिर एससी के स्कैनर के तहत आ गया.
- ❖ **27 मार्च, 2017**: चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि सरकार की आधार को अनिवार्य बनाने की योजना में कोई गड़बड़ नहीं है, जबतक ये बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में अनिवार्य है. इसके बाद लोकसभा में टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया.
- ❖ **27 अप्रैल, 2017**: सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने जज एके सिकरी और अशोक भूषण की बेंच के सामने ये बात रखी कि इनकम टैक्स एक्ट में बनाई गई नई धारा 139AA, जो आधार को अनिवार्य बनाती है, वो एक फासीवादी सौदा है. केंद्र ने कहा कि किसी के बायोमैट्रिक निशान लेना उसके शरीर पर अधिकार का उल्लंघन नहीं है.
- ❖ **19 मई, 2017**: सुप्रीम कोर्ट ने मैग्सेसे विजेता शांता सिन्हा की याचिका के अलावा और भी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया. ये याचिकाएं 30 जून, 2017 तक आधार को अनिवार्य बनाने के आदेश के खिलाफ डाली गई थीं.
- ❖ **9 जून, 2017**: सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA का समर्थन किया.
- ❖ **12 जुलाई, 2017**: श्याम दीवान और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस खेहर से पांच जजों की बेंच बनाने का आग्रह किया. खेहर ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई रखी.

- **18 जुलाई, 2017**: जस्टिस खेहर, जज चेलामेश्वर, बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने ये निर्णय लिया कि 5 जजों की बेंच को पहले ये फैसला लेना होगा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं. साथ ही ये संविधान का हिस्सा है या नहीं.
- **19 जुलाई, 2017**: नौ जजों की बेंच ने (खेहर, चेलामेश्वर, बोबडे, चंद्रचूड़, आरके अग्रवाल, रोहिंगटन फली नरीमन, अभय मनोहर सापरे, संजय किशन कौल और नजीर) निर्णय लिया कि निजता निरपेक्ष नहीं है. यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो देश में की डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज पर विचार करेगी और ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए सुझाव देगी.
- **2 अगस्त, 2017**: नौ जजों की बेंच ने कहा कि निजता के अधिकार के मूल को बचाए रखने की जरूरत है.
- **२४ अगस्त 2017: "निजता का अधिकार मौलिक अधिकार"** - सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश **न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर** की अध्यक्षता वाली **नौ सदस्यीय पीठ** ने एक मत से यह फैसला दिया.

---

## || संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य ||

**मेरे प्यारे देशवासियों,**

संविधान ने हम नागरिकों को **मौलिक अधिकार** ही नहीं **मौलिक कर्तव्य** भी दिए हैं। कई बार हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भूल जाते हैं। में **विनोद एम. नागवंशी** आपसे विनम्र विनती करता हूँ की संविधान का पालन करे एवं अपने मौलिक कर्तव्य को दिल से निभाए.

***आइए जानें संविधान से हमें कौन से मौलिक कर्तव्य मिले हैं..***

- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे।
- देश की रक्षा करे।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे।

- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
- माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन)

**जय हिन्द, जय भारत**

## निजता का अधिकार

**© इंजी. विनोद एम. नागवंशी**



***ईमेल:*** *vinodnagwanshi09@gmail.com*